! Shri S. W. Dhabe]

Lastly, the report in the March .issue has given some interesting statistical information. It says under the heading "chilled Bear causes cancer."

"A German study of 158 brands of beer showed that 111 brands contained a suspected cancer causing substance, 'German News' magazine reported quoting 'STERN' weeKly."

SHRI PILOO MODY: And suppose I say that the cow's milk causes cancer, what will you say?

SHRI S. W. DHABE: I can understand your annoyance and your firm conviction, but I cannot help it because I differ with you on "this matter.

Then, Sir, there are two or three matters in this Bill on which I would like to have your comments. They pertain to the last entries 10, 11 and 12 in the Schedule IA of the Bill. Here I agree with Shri Piloo Mody. Under item 10, cidei which is a pineapple juice has been taxed @ Re. 1.00 per bottle of 650 ml. Then under item 12 you have mentioned "any other intoxicating drug other than those mentioned above", which will be taxed @ Rs. 30.00 per kg. I think this would open the pandora's box and what is going to be the interpretation of this item by the courts? What is an intoxicating drug? It has not been defined in the Act.

On the whole, Sir, 1 am sura the Government is doing a right thing in continuing the prohibition policy and for that purpose I congratulate the Minister that it has been brought in the Preamble of the Bill.

SHRI SATISH AGARWAL; Mr. Chairman, Sir, I am very thankful to the hon. Member for giving an unqualified support to the prohibition policy of the Government of India.

Then, Sir, he has raised two points. One is, why letters patent appeal was not filed. As I stated earlier, this matter went up in a letters patent appeal before the division bench of the High Court which has upheld...

SHRI S. W. DHABE; What about the original Act? I am not talking of the Ordinance.

SHRI SATISH AGARWAL: That was also filed by the Delhi Administration because when this matter came up for issue of an Ordinance, we advised the Delhi Administration to file the letters patent appeal. That has been accepted. Then the constitutional validity has been upheld and the writ petitions of the parties have been dismissed. The Supreme Court has also not granted them the appeal to the Supreme Court. With regard to the retrospective effect...

SHRI S. W. DHABE; You have stated that a Single Bench of the High Court of the Delhi decided a bunch of writ petitions on 11th January, 1979, restricting the administration from levying and collecting these duties. 11th January was the judgement. When was the appeal filed? You issued the Ordinance immediately?

SHRI SATISH AGARWAL; We issued the Ordinance on the 20 th January.

SHRI S. W. DHABE: When was the appeal filed?

SHRI SATISH AGARWAL; I will give you the date. It was n*ed definitely. It is not mentioned here. The judgement was delivered on 9th March.

One thing more with regard to Mr. Dhabe's contention about retrospective effect. The 3-year limitation question does not arise because the High Court had directed the respondent, i.e. the Delhi Administration, to refund all duties collected so far. There is no period prescribed. It is

the judgement of the High Court. There is no question of 3-year limitation and that i_3 why all those things had to be regularised by th_e issue of an Ordinance and by the present Bill. So any apprehension of that kind is not well founded.

These were the two points raised by him and now I request that the Bill be returned.

MR. CHAIRMAN; The question is:

"That the Bill b_e returned."

The motion was adopted.

THE SUGAR UNDERTAKINGS (TAKING OVER OF MANAGE-MENT) AMENDMENT BILL, 1979

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH); Sir, I beg to move:

"That the Bill to amend the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

For maintaining the continuity of production of sugar, for avoiding undue hardship to cane producing farmers who were not getting prompt payment of cane supplied by them to the sugar factories and to best subserve the interests of all sections of the people, the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Ordinance, 1978 was promulgated on the 9th November, 1973^Th_e Ordinance wa_s replaced b_v the~?fif5r Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1979 (49 of 1978). The Act provided for the vesting of the management of the sugar undertakings in Central Government under certain circumstances.

Immediately after the Act wa3 promulgated, action was taken according to the provisions of the Act on the erring sugar mills and as of today 10 sugar mills have been taken over. However, while administering the provisions of th$ Act, it was noticed that the original wording of a particular section of the Act had given rise some ambiguity which needed clarification. Under section 3 (l)(b) of the Ordinance, where the Central Government is satisfied that on any date in any sugar year any sugar undertaking has, in relation to the cane purchased before that date for the purposes of the undertaking, $arrear_s$ of cane dues to the extent of more than ten per cent of the total price of the cane so purchased during the immediately preceding year, the Central Government may issue a notice to the owner of such sugar undertaking calling upon him, among other things, to show cause as to why the management of such undertaking should not be taken over by the Central Government. A view has been put forth that arrears of cane dues referred to in this section refer only to the arrears of cane dues which will accrue in the current sugar year. However, tfus was not the intention of the Government while framing the Act. This interpretation would in fact undermine the very object with which the Act was framed i.e. with a view to give relief to the cane growers who have to wait indefinitely for getting back the price of their produce from the factories. Hence, it was felt that it would be desirable to amend section 3(1) (b) of the Act to bring out clearly the sense behind the words and protect the interest of the cane growers. Parliament was not in session and immediate action was necessary not only to continue effective action under the Act but also to validate action already taken, the Sugar Undertakings (Taking Over $_0$f Management) Amendment Ordinance, , 1979, was promulgated by th? Presi-

[Shri Bhanu Pratap Singh]

dent on 31-1-1979. This present Bill is to replace the above Ordinance.

The present amendment is a necessary concomitant for the smooth administration for the provisions of the Act. As such, I commend the Bill for the consideration of the House end its early passing.

The question was proposed.

श्री रामानन्द यादव (बिहार) : सभापति जी, मुझे ताज्जुब हुआ जब इन्होंने यह अमेंडमेंट बिल रखा । अभी दो महीने ही हुए शुगर केन अंडरटेकिंग बिल पास हुए और तत्काल दो महीने बाद अमेंडमेंट बिल आ गया । इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार ने शुगर मिलों को जो लिया उन्हें किसी खास मकसद से लिया । इन पर गम्भीरता से विचार नहीं किया । शुगर फैक्टरियां अगर हम लेते हैं तो उन्हें कारगर रखने, समय पर चलाने और उनका मैनेजमेंट ठीक से करने के लिये कुछ करना चाहिये । बिना सोचे-समझे, जल्दी में आ करके, कुछ पोलिटिकल गेन और कुछ मोनेटरी गेन की नीयत से इन्होंने आर्डिनेंस इशू किया और बिल बनाया । मुझे लगता है कि इस अमेंडमेंट के बाद दूसरा अमेंडमेंट, तीसरा अमेंडमेंट और कई अमेंडमेंट आयेंगे पर उनका कोई अर्थ नहीं रहेगा ।

इन्होंने बिल में यह प्रोविजन किया है कि जो केन प्राइस इस सीजन की बकाया उसको दिलाने की व्यवस्था की जाएगी । पिछले साल का जो केन प्राइस का एरियर बकाया है, इस साल का तो दिलायेंगे ही साथ ही पिछले साल का जो बकाया है उसकी रिकवरी की व्यवस्था भी इसमें रखी गई है । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार ने इसमें दो-तीन बातों को ओमिट कर दिया है, छोड़ दिया है । पहली बात तो यह है कि इन्कम टैक्स जो प्राइवेट मिलें देती हैं उन्होंने इन्कम टैक्स चुकता नहीं किया है, स्टेट सरकारों को जो सेल्स टेक्स मिलता है जिसे रोड टैक्स कहते हैं या स्टेट्स जो कुछ कहती हैं वह भी चुकता नहीं किया गया है और डेवलपमेंट के नाम पर करोड़ों-करोड़ रुपया प्राइवेट आनर्स जो मिल मालिक हैं उन्होंने डेवेलपमेंट करने के लिये दिया है । इसकी रिकवरी का प्रोविजन आपने इस अमेंडमेंट में नहीं रखा है जिसको आपको रखना चाहिये था । ऐसा लगता है कि मिल-मालिकों को उंगली दिखा कर, भय दिखा कर, डर दिखा करके और अपने कब्जे में रख कर के उनसे मोनेटरी या पालिटिकल गेन लेने जा रहे हैं । इस बिल से ऐसा लगता है कि आपको फायदा और काफी फायदा हो रहा है ।

160 मिलों को टेक-ओवर करने के लिये नोटिस हुआ था । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन्होंने 10 मिलें ही क्यों टेकओवर की ? क्या 160 मिलों में से 10 मिलों ने ही एरियर क्लीयर नहीं किया था और बाकी 150 मिलों ने एरियर क्लीयर कर दिया था ? क्या इन 150 मिलों ने इन्कम टैक्स एरियर क्लीयर कर दिया था, सेल्स टैक्स एरियर क्लीयर कर दिया था ? क्या डेवलेपमेंट का पैसा सारा क्लीयर कर दिया था ? नहीं ? इसका मतलब साफ जाहिर है कि आपकी नीयत साफ नहीं थी । आपने कुछ का फेवर किया और फेवर क्यों किया यह आप जानिये । लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर जरूर कुछ है । आपकी नीयत गड़बड़ है तभी आपने, 160 मिलों को जो टेकओवर करने के लिये नोटिस दिया गया था उसमें से केवल 10 को ही टेकओवर किया । यह प्रोविजन इसमें होना चाहिये था कि सब को करते जिन्होंने एरियर क्लीयर नहीं किया, सेल्स टैक्स एरियर क्लीयर नहीं किया, इन्कम टैक्स एरियर क्लीयर नहीं किया, ठीक प्राइस नही दी, समय पर मिल स्टार्ट

नहीं की। 160 मिलों में से जिन 150 मिलों को आपने छोड़ा है उनके लिये आपने नियम पालन नहीं किया। आपने समय निर्धारित किया था उनको टेक ओवर करने के लिये लेकिन आपने उतने समय में टेक ओवर नहीं किया। कुछ फैक्ट्रियों ने तो बहुत बाद में जाकर क्रशिंग शुरू की इसलिये कि उन्होंने आपको मुलायम कर दिया, आपके मुंह में मिठास डाल दी, आपका मुंह मीठा कर दिया, आपकी जबान को बन्द कर दिया, सील कर दिया। ऐसा करने पर आपने भी उनको छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूज मनी को रिएलाइज करने के लिये आप सक्षम नहीं हैं। यह जो अमेंडमेंट लाये हैं इसके माध्यम से आप चाहेंगे कि पूरी मुस्तैदी से रिएलाइज कर लेंगे, मैं समझता हूं नहीं कर सकते। आपको इस संबंध में जितना स्ट्रिक्ट होना चाहिए और जिस रूप में कड़ाई से काम लेना चाहिए, वैसा आप नहीं कर रहे हैं। इस बिल में जो वर्डिंग होनी चाहिए वह आपने नहीं की है। मैं समझता हूं कि इसमें आपको परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ेगी और अपनी स्पीच में भी आपने कहा है कि इस बिल में बाद में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो सकती है। मैं समझता हूं कि आयन्दा अवश्य ही आपको इस बिल में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ेगी।

जहां तक हमारे देश में शुगर फैक्ट्रीज की स्थिति का सवाल है, आप जानते हैं कि उनकी हालत अच्छी नहीं है। अधिकांश शुगर फैक्ट्रीज की हालत डोलड्रम में पड़ी हुई है। जिन फैक्ट्रीज को आपने टेक ओवर किया है वे भी किसानों का पेमेन्ट नहीं कर पा रही हैं। पहले आपने सात फेक्ट्रियों का टेक ओवर किया और बाद में 10 फैक्ट्रियों का टेक ओवर किया। जब आपने इन फैक्ट्रियों का टेक ओवर किया तो यही दलील दी थी कि ये फैक्ट्रियां किसानों का पेमेन्ट नहीं कर रही थी। लेकिन क्या कारण है कि आप से टेक ओवर करने के बाद भी किसानों की पेमेन्ट नहीं होती है? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी ट्रेजरी में पैसा नहीं है? जो फैक्ट्रियां पहले किसानों का पेमेन्ट नहीं करती थी उनको हम दोष देते थे, लेकिन गवर्नमेंट के टेक ओवर के बाद भी अगर किसानों की पेमेन्ट नहीं होती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार भी पेमेन्ट नहीं करती है और उनको सूद भी देने के लिए तैयार नहीं है। आज भी हमारे देश में गन्ना उत्पादकों की हालत में सुधार नहीं हो पा रहा है। असल में वास्तविक बात यह है कि सरकार ने जिन शुगर फैक्ट्रियों को अपने हाथ में लिया है उनके मैनेजमेन्ट में कोई सुधार नहीं किया है और ये लोग उसी तरह के किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और उनको लूट रहे हैं क्योंकि मैनेजमेन्ट तो पूंजीपतियों का ही है। इन फैक्ट्रियों की सारी मशीनरी और मैनेजमेन्ट पूंजीपतियों का है। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार का प्रावधान आपने इस बिल में नहीं किया है। आपने बफर स्टाक के मैंटेनेन्स के लिए 5 लाख से 8 लाख रुपयों की व्यवस्था करने की बात कही है। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि इस रुपये से आप क्या करेंगे? किसानों का जो पैसा बाकी है उसी से आप किसानों से माल खरीदेंगे और मिल वालों को देते रहेंगे। इस तरह से किसानों से जो माल खरीदा जाएगा उसकी पेमेन्ट फिर भी नहीं हो पाएगी। मैं चाहता हूं कि इस संबंध में भी आपको इस बिल में कोई प्रावधान करना चाहिए।

सभापति जी, हमारे देश से पहले चीनी का काफी निर्यात विदेशों को किया जाता था, लेकिन अब शुगर फैक्ट्रियों से चीनी का निर्यात रोक दिया गया है। आप जानते हैं कि हमारे देश में ईख की खेती साल भर में एक बार होती है। हमारे देश में अधिकतर ईख की खेती उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में होती है। लेकिन सबसे अधिक ईख की खेती उत्तर प्रदेश,

[श्री रामानन्द यादव]

बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात में होती है। फैक्ट्रियों द्वारा शुगर का निर्यात बन्द हो जाने के कारण किसानों को पेमेन्ट नहीं हो पा रही है। आपने इस बिल में कोआपरेटिव सेक्टर को भी इंक्लूड कर दिया है। आप जानते हैं कि कोआपरेटिव सेक्टर एक स्टेट सबजेक्ट है। लेकिन आपने कोआपरेटिव सेक्टर की मिलों के संबंध में स्टेट गवर्नमेन्ट्स से कोई बात नहीं की। मैं यह मानता हूं कि हमारे देश में जो फैक्ट्रियां कोआपरेटिव सेक्टर में हैं वे भी कुछ ही चुने हुए लोगों के हाथों में हैं और वे भी उसी प्रकार से व्यवहार करते हैं जिस प्रकार से प्राइवेट फैक्ट्रियां करती हैं। वे भी किसानों की बकाया का पेमेन्ट नहीं करती हैं और वे लोन के नाम पर पैसे को पेपर के माध्यम से इधर-उधर कर देते हैं और यह दिखा देते हैं कि किसानों को पेमेन्ट हो गया है। लेकिन वास्तव में यह पैसा किसानों को नहीं मिल पाता है। कोआपरेटिव सेक्टर में भी हमारे देश में शुगर फैक्ट्रियां ऐसे लोगों के हाथ में हैं जो भ्रष्ट हैं। मैं समझता हूं कि इस संबंध में भी इस बिल में कोई प्रावधान होना चाहिए था। स्टेट गवर्नमेन्ट्स से विचार-विमर्श करके इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने का कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। इस समय स्थिति यह है कि कोआपरेटिव सेक्टर की मिलों में भ्रष्टाचार बहुत है और वे एक ही आदमी के हाथों में चल रही हैं। वे लोग भी किसानों का शोषण करते हैं। उस पर अंकुश लगाने के लिए आपने इस बिल में कोई व्यवस्था नहीं की है। सभापति जी, सरकार ने चीनी पर से कन्ट्रोल हटा लिया। बड़ा अच्छा किया। इससे कंज्यूमर्स को कम पैसे पर चीनी मिल जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में, इस साल में ही ईख की खेती करना किसान बन्द कर देंगे और मेरा अपना ख्याल है कि आगे जाकर चीनी लोगों को मिलेगी नहीं, चीनी का फेमिन हो जायेगा। उस फेमिन को न आने देने के लिये आपको चिंतित रहने की आवश्यकता है। आप ऐसा न करें जिससे कि शुगर केन की खेती कम हो। शुगर केन की खेती वहां होती है जहां दूसरे अनाजों की दो फसलें पैदा करने की व्यवस्था नहीं होती। आप किसान हैं। आप खुद इस बात को जानते हैं कि जहां पानी अधिक लग जाता है वहां किसान ईख बोता है इसलिये कि अधिक पानी होने पर ईख की खेती पानी को बर्दाश्त करती है और इससे किसान फायदा उठाता है।

मैं चाहूंगा कि सरकार जल्दी से जल्दी ऐसे स्टेप ले ताकि किसानों का जो बाकी पैसा है, जो एरियर है जो कि नियर अबाउट 200 करोड़ रुपये है, वह सारा का सारा पैसा किसानों को मिल जाय। पीछे आपने आश्वासन दिया था कि किसानों का पैसा जल्दी से जल्दी चुकता करा देंगे। लेकिन चुकता नहीं हो रहा है, उनको वापस नहीं मिल रहा है। आप इसकी व्यवस्था करें और फैक्टरी वालों से उनका पैसा चुकता करवाने के लिये आवश्यक कदम उठायें। जब किसी गरीब किसान से पैसा वसूल करना होता है तो उनके बैल खोल देते हैं, उनको वारंट देते हैं, उनको प्रखंड में ले जाया जाता है और उनको परेशान किया जाता है। लेकिन मिल वाले किसानों का पैसा लेकर बैठे हुए हैं, आपका इन्कम टैक्स पकड़ कर बैठे हुए हैं, डेवलपमेन्ट के नाम से पैसा लेकर बैठे हुए है, डवलपमेन्ट के नाम से पैसा लेकर दूसरी चीजों पर उसको खर्च करते हैं, जो किसानों का है पैसा उसका वह भुगतान नहीं करते। किसानों का उनके ऊपर करीब दो सौ करोड़ रुपये बाकी है। इसको दिलाने की आप व्यवस्था करें।

मैं एक और बात का निवेदन मंत्री महोदय से करना चाहता हूं और वह यह है कि यह जो फैक्टरी वाले हैं चाहे वे प्राइवेट ओनर्स

हों, या कोआपरेटिव की हों, चाहे स्टेट कारपोरेशन हैं जिनको आपने अन्डरटेक किया है, जिन पर भी किसानों का पैसा बाकी है पहले से भी और आज भी, उन पैसों का सूद किसानों को दिलवाने की व्यवस्था करें। इस बिल में मैं चाहता था कि ऐसी व्यवस्था हो ताकि किसानों का जो पैसा बकाया है वह उन्हें सूद के साथ मिले चाहे जितने भी दिन का हो। और इसके लिये वही रेट तय किये जायं जो कि बैंक रेट है यानी 10 प्रतिशत या 12 प्रतिशत सूद उस पर मिलना चाहिए। ये मिल मालिक करोड़ों करोड़ रुपय का सूद का पैसा लेकर बैठे हुए हैं और उस पैसे से एक मिल वाला आज दो-दो, तीन-तीन और चार-चार मिलों का मालिक बन गया है। इस देश में जो मिल हैं उनको प्रोटेक्शन मिला और सभी ने उनको हर तरह से फायदा पहुंचाया और इस तरह से बड़े बड़े पूंजीपतियों को खड़ा कर दिया परन्तु किसान का शोषण होता रहा है और हो रहा है। आज भी यही हो रहा है और फैक्टरी वाले यही शोषण का रवैया अपनाये हुए हैं। मैं चाहूंगा कि इस बिल में इस तरह का प्रावधान किया जाय ताकि किसानों की जो बकाया मिल-मालिकों के पास है उस पर सूद मिल सके और जिन मिलों पर चाहे वे प्राइवेट मिल ओनर्स हों, चाहे आपकी अन्डरटेकिंग्स हों, चाहे स्टेट कारपोरेशन जो कि डिफरेन्ट स्टेट्स में बनी हुई हैं उनकी मिल हो और चाहे कोआपरेटिव सेक्टर में हो, उन पर किसानों का जो पैसा बकाया है किसान को उसका एरियर सूद के साथ मिले, ऐसी व्यवस्था इस बिल में की जानी चाहिए।

SHRI S. W. DHABE (Maharashtra): Sir, I welcome the provisions of this Bill which is only a nominal Bill. There was a lacuna in the Government's policy regarding purchase of sugar cane in the previous years, Sir, the Government should not rest only with taking over the sugar undertakings for the time being. If the sugafr undertakings are taking over because of mismanagement, they should not be returned back to the owners if they had illegally deprived the workers of their dues and had not paid the price of sugarcane they purchased.

Sir, it is very essential that the public sector should step in to deal with consumer articles such as foodgrains and other commodities. There is a demand of the working class for nationalisation of sugar, textile, and jute, I would have very much liked the Minister to take a similar stand in the case of the jute industry. The jute growers are getting very much low price and they have suffered very heavily in the last two years. Therefore, I would also like to know from the Government what is the policy of the Government regarding cotton and jute and regarding the price paid to the jute growers and what steps it has taken.

Sir, in this connection, I would like to say that the Government's policy of decontrolling sugar has cerainly 'benefited the consumers an^ the price has gone done. But if the cost of production is such that the cane growers do not get a remunerative price, then they will go to some other cash crops or some other crops, and then we may face low production of sugarcane itself and ultimately sugar famine. As far as the information 1 have got goes, in Karnataka by 30 per cent the production of sugarcane has gone down. In Maharashtra also in some districts the cultivator$_s$ are thinking of leaving the area for other cash crops and not to grow sugarcane. Therefore, it must be an incentive *to* the sugarcan$_e$ growers. Their commodities should get adequate price. And it is ' the duty of the Government and the society to see t$_0$ that.

In my State, the afnnence in the West Maharashtra is due to the cooperative sugar factories. There a™e

[SHRI S. W. DHABE]

large sugar factories which are well | managed by the farmers. The workers there are demanding that they should become shareholders of those co-operative societies. But thi$_s$ cooperative movement should not be affected by the policy of the Government. It is better to have the co-operative movement, the co-operative sugar factories than having the fac-\ in the hands of the private persons, the private employers. I would like to know from the Minister when the co-operative sugar factories are governed by the co-operative law which is in the State List, how the factories can be taken over by the Central Government. It is exclusively in the State List. It is very essential that he should clarify the position regarding the co-operative sugar factories. These are governed by the State law, these are governed by the State List ultimately, and they cannot be taken over by the Central Government.

Sir, lastly, I would like to say that the policy of the Government of stopping the export has not been useful. Had the Government exported sugar and with its profit balanced the economy of the sugar industry, this state of affairs would not have arisen. Today, Sir, the buffer $_s$tock limit of the Government has been increased to 15 lakh quintals! If the Government wants to give adequate price to the sugarcane growers, I am ' not pressing for export of sugar but they must increase the buffer stock to the extent that the cane-growers get adequate price and the industry is stabilised. It is not a proper policy to export essential commodities like sugar. But the Government has to increase the buffer stock to more than the present stock of 15 lakh quintals which i$_s$ very essential for stabilising the price. Therefore, Sir, the essential aim should be that not only is the sugar industry stabilised but also that the cane-growers get adequate price so that they will have incentive for more cultivation and continuity of interests. In this connection I may say that in my State a mo-12 NOON nopoly cotton procurement scheme has been introduced. Cotton was being sold to the speculators and their agents and the agriculturists were getting a low price. At the time of the season when they required money immediately, it was purchased at 50 to 60 per cent less than the normal price. Now the Maharashtra Gov. ernment has been experimenting with the monopoly cotton procurement scheme for the last five or six years and it has been most successful. I would like th$_e$ scheme to be extended to other essential commodities like sugarcane and jute. I fail to understand why the Government is not taking up a monopoly procurement scheme for sugarcane so that the cane growers also get a proper price. And then it can be sold to all the sugar factory-owners.

PROF. N. G. RANGA (Andhra Pradesh) : Co-operative procurement.

SHRI S. W. DHABE: I agree with my senior colleague, Prof. Ranga that if there is the co-operative method it will be more useful. But to begin with, when we are having the experiment of the co-operative movement only in some parts of *the* country, it will be more useful if the Central Government starts the monopoly procurement schejme and ultimately gives it to the co-operative movement. Therefore^ this question of sugar factories is very important. Sir, 65 per cent of the sugarcane goes for khand-sari and jaggery, to the small factoiy owners. And the big factory owners use only about 35 Der cent. Therefore, it is equally important that the small factory owners, the small manufac.

गई है कि एक क्विंटल पैदा करने में 13 रुपए लगते हैं और आप भी कभी 10 रुपए देते हैं, कभी साढ़े आठ रुपए देते हैं। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि इस तरह का हिसाब हो कि शुगरकेन की लागत से इसका ताल्लुक रहना चाहिये । जितना पैसा उत्पादन में लगता है गन्ने का दाम उसी अनुपात में होना चाहिये । श्रीमन्, मंत्री महोदय से खासकर मैं कहना चाहूंगा क्योंकि वे स्वयं ही किसान हैं और उस क्षेत्र से आते हैं जहां पर खास कर हमारे बिहार और उत्तर पूर्वी यू० पी० शुगर इंडस्ट्रीज से भरा पड़ा है, बहुत दिन से यह उद्योग वहां चल रहा है और आज यह शुगर इंडस्ट्रीज की संज्ञा में जा रहा है। अगर सरकार की नीति यह रहेगी तो वह दिन बहुत दूर नहीं है जब कि सारी इंडस्ट्रीज हमारे इन प्रान्तों से विलीन हो जाएगी । दक्षिण से हमारे बहुत से मित्रों ने कहा कि वहां पर शुगर इण्डस्ट्रीज कोआपरेटिव सेक्टर में भी चल रहे हैं। लेकिन जहां तक दक्षिण भारत की शुगर इण्डस्ट्रीज की बात है वे अच्छी चल रही हैं और मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर जो रिसर्च आर्गेनाइजेशन है उनसे किसानों का सीधा सम्पर्क होना चाहिए ताकि लोग इसकी ओर झुकें और नयी वेराइटीज अपनाएं। किसान को जब तक आप उसके मन के मुताबिक प्रोडक्शन से और दाम से तालमेल नहीं बैठायेंगे तब तक मैं समझता हूं कि जो कृषि के क्षेत्र में काम करता है वह अपने आप को हमेशा निस्सहाय समझेगा। यह आपका हिन्दुस्तान है जो आप चाहते हैं करें । लेकिन मैं चाहूंगा कि आप एक कम्प्रेहेंसिव बिल सदन में लावें। जो तीनों मुद्दे उठाये हैं वे समझें । खास कर मजदूरों के हितों की रक्षा आप शुगर इण्डस्ट्री के नाम पर करें और शुगर इण्डस्ट्री की संज्ञा समझें तो आप उसी अनुपात में उनकी मदद कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका स्वागत करता हूं ।

श्री भानु प्रताप सिंह : उपसभापति महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस बहस में भाग लिया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत सीधा-सादा और संक्षिप्त उद्देश्य का बिल है । हमने जो पहले मूल अधिनियम पारित किया था उसके शब्दों में कुछ आशंका व्यक्त की गई थी और एक हाई-कोर्ट में उसके बारे में सन्देह प्रकट किया गया था उस सन्देह को दूर करने के लिए केवल शाब्दिक परिवर्तन किया जा रहा है और इसी उद्देश्य से यह बिल लाया गया है जिससे हमारी मंशा के बारे में आगे किसी न्यायालय को कोई सन्देह न रह जाए। इतना ही सीमित उद्देश्य इस बिल का है। अब इस पर आक्षेप किया गया कि यह कम्प्रेहेंसिव बिल नहीं है। मैं मानता हूं कि यह कम्प्रेहेंसिव बिल नहीं है। अब ये बातें कही गयीं कि इस जनता सरकार का कुछ उद्योगपतियों से रिश्ता है, इनके उद्देश्य दूसरे हैं, ये कहने के लिए कुछ हैं और करने के लिए कुछ हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि पुरानी बातें तो मैं जानता नहीं हूं लेकिन नयी बात इस सरकार की यह है कि हमारा रिश्ता दो से है, या तो गन्ना उत्पादकों से है या उपभोक्ताओं से है। यह हो सकता है कि हम चीनी उद्योग की सारी समस्याएं न हल कर पाये हों लेकिन मैं इतना जरूर दावा करता हूं कि हमने गन्ना उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए जो कुछ सम्भव था किया है तथा उसके परिणाम भी अच्छे सामने आये हैं ।

जो मूल विधेयक था, उसके दो उद्देश्य थे। एक की चीनी मिलें चलती रहें जिससे गन्ने की पेराई न रुके और दूसरा यह था कि जो गन्ना उत्पादक गन्ना सप्लाई करते हैं उनके गन्ने की कीमत की अदायगी होती रहे।

[श्री भानु प्रताप सिंह]

जहां तक पहले उद्देश्य का सम्बन्ध है उसमें हमें पूर्ण सफलता मिली। इस चीनी वर्ष में हर तारीख को पिछले वर्ष की तुलना में अधिक मिलें काम करती रहीं, कोई भी पीरियड नहीं आया इस शुगर इयर में जब काम करने वाली चीनी मिलों की संख्या पिछले साल की तुलना में कम रही हो। कोई भी अवसर नहीं आया है जब कि पिछले साल की तुलना में इस साल चीनी कम बनी हो। इसलिए जहां तक चीनी के कारखानों के चलने का उद्देश्य था वह पूरी तरह से प्राप्त किया गया है। पिछले साल की तुलना में अधिक चीनी मिलें काम कर रही हैं और पिछले साल की तुलना में अधिक चीनी अब तक बन भी चुकी है।

जहां तक गन्ने के पैदा करने वालों के बकाये का प्रश्न है, उसमें भी कुछ सफलता मिली है। जहां तक पिछले साल के बकाये का प्रश्न है वह बहुत कम किया जा चुका है और उसका कारण यही है कि जब 10 परसेंट से ऊपर बकायेदारों के लेने की बात आयी तो हमारे चंगुल में बहुत कम मिलें फंस सकीं अर्थात् उनकी अदायगी जो थी वह 10 प्रतिशत के नीचे आ चुकी थी। सिर्फ थोड़ी सी मिलें ऐसी थीं जिनकी अदायगी नहीं था और उनको हमें लेना पड़ा। जिस वक्त हमने उनको लिया था उस वक्त उनके ऊपर करीब 6 करोड़ रुपया किसानों का बकाया था। हमने ऐसा किया था कि तीन महीने के अन्दर इस बकाये को अदा कर देंगे। अभी 6 करोड़ के मुकाबले 6 करोड़ से कुछ अधिक धनराशि उन मिलों को दी जा चुकी है जिसको हमने सीधे केन्द्रीय सरकार के अधिकार में लिया है। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि जो बकाये की धनराशि थी, थोड़ी बहुत चाहे बकाया हो, अन्यथा वह पूरी की पूरी अदा हो चुकी है।

अब बिहार की मिलों का प्रश्न उठता है। अब बिहार की या कहीं और की मिलें जो कि ऐसी हैं जिनको कि राज्य सरकार ने अपने हाथ में ले रखा है उनके वहां की अदायगी का प्रश्न तो वहीं की राज्य सरकार सुलझा सकेगी। हम तो सिर्फ दो प्रकार की मिलों के लिए जिम्मेदारी लेते हैं। एक तो वह जिनको स्वयं ले लें, अधिग्रहीत कर लें और दूसरी वे जो प्राईवेट सेक्टर में हैं या कोआपरेटिव सेक्टर में हैं, लेकिन वही जो पिछले साल के गन्ने की कीमत की अदायगी नहीं करती हैं। थोड़ी बहुत अदायगी कहीं से बकाया हो उसके लिए तो मैं नहीं कहता हूं। परन्तु प्रायः सभी अदायगी हो चुकी है। लेकिन इस वर्ष, मैं मानता हूं फिर किसानों को गन्ने की कीमत की बहुत बड़ी धनराशि बकाया के रूप में एकत्रित हो गई है। पिछले वर्ष इसी समय जितना गन्ना खरीदा गया था उस का केवल 21 फी सदी बकाये के रूप में था, आज वह बढ़ कर 25 या 26 फी सदी हो गया है। लेकिन मैं कुछ बातें स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं और वह यह कि अब तक चीनी मिलों की कठिनाइयों को थोड़ा देखते हुए—अगर वह चीनी मिलें केवल निजी क्षेत्र की नहीं सरकारी क्षेत्र की और जो सहकारी चीनी मिलें हैं उनके भी हमने जरूर उनके साथ थोड़ा मुलायमियत का व्यवहार किया है। लेकिन अब हमने उनके लिए जो परिस्थितियां पैदा कर दी हैं बफर स्टाक द्वारा, यानी बफर स्टाक तैयार करने के लिए उन बैंकों से कर्ज की सीमा बढ़ाने के लिए, और इसके साथ यह जो चीनी का मूल्य थोड़ा बढ़ा है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर उन सहूलियतों के बाद, इन परिस्थितियों के बदलने के बाद, चीनी के भाव कुछ बढ़ाने की बात भी और चीनी मिलें गन्ना किसानों के मूल्य चुकता नहीं करेंगी तो वह इस कानून से बच नहीं सकेंगी। आज ही मैंने कहा है कि हर एक मिल के बकाए के फिर से आंकड़े मंगाए जाएं, और पूरा रिव्यू चालू कर दिया गया

और मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि जो मिल नहीं अदा कर सकेगी उसको हमें ले लेना पड़ेगा। दूसरी बात जो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं वह चीनी के मूल्य के विषय में है। एक बात कही गई कि हमने कहा कि 2 रु० 20 पैसा प्रति किलोग्राम चीनी बिकेगी। मैं यह याद दिलाना चाहता हूं, मैंने 2 रु० 70 का भाव नहीं कहा था, मैंने 2.75 और 2.80 कहा था (*Interruptions*) वह तो रिकार्ड यहां मौजूद है। कार्यवाही में आप निकलवा कर देख लीजिए। कार्यवाही में तो स्पष्ट लिखा हुआ है जो मैंने कहा और आज भी मैं कहता हूं कि 2.75 रु० से अधिक मूल्य नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के मूल्य हमेशा 10 पैसा 15 पैसा ज्यादा होते हैं उसका कारण यह है कि यहां चीनी बाहर से आती है और उस पर चुंगी काफी ऊंचे दर पर लगायी जाती है। इसके अतिरिक्त दिल्ली निवासी बहुत अच्छी चीनी खाने के आदी है, वे सी-30 ग्रेड की चीनी खरीदते हैं जब कि सारे देश में डी-30 चीनी चलती है। तो केवल दिल्ली ही नहीं है सारा देश। यह मैं एक बार फिर कहता हूं कि अगर देश में चीनी का भाव, वह भी कामन वेरायटी डी-30 का, अगर 2.75 रु० से ज्यादा होता है तो सरकार अवश्य हस्तक्षेप करेगी। अब दिल्ली के खाने वाले बहुत फैन्सी हैं, यहां पैकिंग बहुत फैन्सी है, दुकानें भी बहुत फैन्सी हैं। तो उन फैन्सी लोगों की बात छोड़िए, साधारण व्यक्ति जो इस देश का है अगर उसको 2.75 रु० से ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी तो सरकार अवश्य कदम उठायेगी।

श्री खुरशीद आलम खान (दिल्ली): थोड़ा सा दिल्ली से भी मुहब्बत करिए आप।

SHRI LAKSHMANA MAHA-PATRO (Orissa): To save the peop:e, can you think of having the Parlia-ment in the rural side hereafter instead of having it in Delhi?

श्री भानु प्रताप सिंह : मैंने देश की बात कही। मैंने कहा दिल्ली ही देश नहीं है।

श्रीमन्, एक प्रश्न उठाया गया कि जब 60 मिलों को नोटिस दी गई तो केवल 10 क्यों ली गई ? इसलिए कि बाकी ने कानून की जो आवश्यकता थी उसकी पूर्ति कर दी थी। एक प्रश्न यह उठाया गया कि गन्ना किसानों का अगर बकाया रहता है तो उस पर उनको सूद मिलना चाहिए। मैं बार बार कह चुका हूं कि 15 प्रतिशत सूद निर्धारित किया गया है और वह उन को मिलेगा। लेकिन जब अभी कठिनाई हम को इस में हो रही है कि हम उन के मूल्य का ही निपटारा नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी बात क्या की जाय, लेकिन यह निश्चय मानिये कि जब मूल्य का निपटारा होगा तो उसके साथ सूद का भी निपटारा होगा।

एक प्रश्न यह उठाया गया कि क्या केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार है कि वह कोआपरेटिव चीनी मिलों को ले ले। मैं यह कहूंगा कि हां, पूरा अधिकार है।

SHRI S. W. DHABE: That is in the State laws.

> "Sugar industry is a schedule industry under the Industry (Development and Regulation) Act which means the Government of India are the authority competent to legislate and regulate under Entry No. 52 of the Union List in the Seventh Schedule to the Constitution of India."

Therefore, we have exercised this power under this.

रहा यह कि हमने राज्य सरकारों को कन्सल्ट किया है। ऐसी बात नहीं है कि हमने बिना उन के परामर्श के अपने मनमाने ढंग से किया है।

[श्री शाह प्रताप सिंह]

यह जरूर है कि बहुत सी सहकारी मिलें यह तर्क देती हैं कि हम अपने सदस्यों को, अपने गन्ना उत्पादक सदस्यों को क्या कीमत दें इस में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस तर्क को हम स्वीकार नहीं करते हैं। हम उन गन्ना किसानों की भी रक्षा करेंगे जो किसी सहकारी चीनी मिल में अपना गन्ना देते हैं और उन की भी जो नहीं देते हैं और यह जो मिनिमम स्टैट्यूटरी प्राइस है वह चाहे निजी क्षेत्र की मिल हो या कोआपरेटिव की मिल हो, वह उस को अदा करनी ही पड़ेगी।

श्रीमन्, हमारे माननीय सिन्हा जी चले गये हैं। यहां मौजूद नहीं। उन्होंने कहा कि किसानों के गन्ने की अदायगी पूरी कीमत की हो सकती है, मजदूरों की मजदूरी दी जा सकती है, सरकार के जितने टैक्सेज हैं सब दिये जा सकते हैं और फिर भी चीनी दो रुपये 20 पैसे पर फुटकर में बेची जा सकती है। इस संबंध में केवल यह कहना चाहता हूं कि अगर केवल उद्योगपतियों का ही प्रश्न होता तो मैं अविश्वास करता उन पर और सिन्हा साहब की बात पर ज्यादा विश्वास करता लेकिन चीनी उद्योग में तो सभी लगे हुए हैं--राज्य सरकारें हैं, केन्द्रीय सरकार के पास भी अब दस मिलें हैं और सहकारिता की तो इतनी मिलें हो चुकी हैं कि इस देश में जितनी चीनी पैदा होती है उस में कोआपरेटिव सेक्टर में आधे से ज्यादा पैदा होती है। परन्तु किसी सेक्टर में चाहे वह प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर हो या कोआपरेटिव सेक्टर हो, किसी सेक्टर ने वह परफार्मेंस करके नहीं दिखाया है कि जिसका सिन्हा साहब ने जिक्र किया। बल्कि उल्टे हर एक की तरफ से इस बात की पैरवी होती रही और केवल मिलों ने ही पैरवी नहीं की, राज्य सरकारों ने पैरवी की कि चीनी का कुछ मूल्य बढ़े अन्यथा उन के लिये गन्ने की कीमत का अदा कर पाना कठिन हो जायेगा। यह बात दूसरी है कि देश के सभी लोगों को या तो निकम्मा मान लिया जाय या भ्रष्ट मान लिया जाये। तो यह तो सिन्हा साहब ही कर सकते हैं। मेरे पास अपनी कोई मिल नहीं है, नहीं तो मैं अपनी उस मिल का मैनेजर उन का बना देता और अगर वह तैयार हों तो मैं उनको किसी मिल का कस्टोडियन बना सकता हूं लेकिन वह अगर इस बात को दिखाने का जिम्मा लें।

अन्त में, चन्द प्रश्न उठाये गये थे इस विवाद के संबंध में, उन को मैं समझता हूं कि मैं उत्तर दे चुका हूं। परन्तु एक निवेदन और करना चाहता हूं और वह यह है कि माननीय शाही जी ने बोलते समय, यद्यपि कोई संबंध नहीं था इस विधेयक से, लेकिन उन्होंने कहा कि एफ० सी० आई० के चेयरमैन बेईमान हैं, चोर हैं, इत्यादि मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि सदन की यह परम्परा रही है कि जो व्यक्ति यहां उपस्थित न हो उसका नाम लेकर सीधे इस प्रकार से आक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप कार्यवाही देख लेंगे और यदि उन्होंने इस प्रकार की अनुचित बातें कहीं हैं जो उन को नहीं कहनी चाहिए थीं तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा। मैं केवल इतना ही उन से कहना चाहता हूं कि यदि उन को कोई शिकायत थी तो मुझ से कह सकते थे, बरनाला जी से कह सकते थे, प्रधान मंत्री जी से

कह सकते थे, लेकिन ऐसा न करके एक चीनी से सम्बन्धित साधारण से विधेयक पर जिससे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है, किसी व्यक्ति को इस प्रकार से नाम लेकर उन पर जो यहां उपस्थित न हो, आरोप नहीं लगाये जा चाहिए । मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आप जरा इस पर ध्यान दें क्योंकि इस प्रकार से यदि बातें कही जायेंगी—मैं आज भी कहता हूं कि कोई स्पैसिफिक चार्ज हो, कोई आरोप हो तो हम जांच करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एकदम बिना किसी आधार के किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री महेन्द्र मोहन मिश्र : मनेजमेंट के लिए विचार चल रहा है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : विचार निरंतर चलता रहा है, कोई ठोस रचनात्मक सुझाव आये तो उस पर विचार करने के लिए हम लोग तैयार हो जायेंगे । लेकिन कोई बात पैदा नहीं होगी, कोई तथ्य नहीं होगा, कोई प्रमाण नहीं होगा, कोई ठोस सुझाव भी नहीं होगा, केवल बदनाम वे लोग करते हैं . . . *(Interruptions)*

इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए ।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (बिहार) : माननीय उपसभापति महोदय, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहती हूं । लेकिन कुछ बातें इस विधेयक को देखकर मेरे ख्याल में आई तो मैंने सोचा कि आपके माध्यम से मंत्री महोदय के पास तक पहुंचा दूं ।

यह सही बात है कि इस बिल का स्कोप जैसा मंत्री महोदय ने बताया बहुत ही लिमिटेड है और जो पहले बिल पारित हुआ था उसमें जो कमी रह गई थी उनको दूर करने के लिए यह बिल आया है । जो प्रधान विधेयक था उसका मकसद था मिलें चलती रहें और किसानों को उनके गन्ने का दाम मिलता रहे । इस के सम्बन्ध में मुझसे पहले भी बहुत से माननीय सदस्य लोग बता चुके हैं कि सौ करोड़ से ऊपर एरियर्स ऐक्युमुलेट हो गये हैं और आपने दस मिल ली हैं । आपने अपने उत्तर में बताया कि आपको लेने में दिक्कत यह हुई कि आपने बिल में रखा है कि 10 परसेंट से ऊपर जो अदायगी बाकी रहेगी तभी आप उन मिलों को ले सकते हैं । यद्यपि आपने इन दस मिलों के लिए ही कोई 3.5

MR. DEPUTY CHAIRMAN: iMow 1 will put the motion.

The question is:

"That the Bill to amend the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978, as passed

गई है कि एक क्विंटल पैदा करने में 13 रुपए लगते हैं और आप भी कभी 10 रुपए देते हैं, कभी साढ़े आठ रुपए देते हैं। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि इस तरह का हिसाब हो कि शुगरकेन की लागत से इसका ताल्लुक रहना चाहिये । जितना पैसा उत्पादन में लगता है गन्ने का दाम उसी अनुपात में होना चाहिये । श्रीमन्, मंत्री महोदय से खासकर मैं कहना चाहूंगा क्योंकि वे स्वयं ही किसान हैं और उस क्षेत्र से आते हैं जहां पर खास कर हमारे बिहार और उत्तर पूर्वी यू० पी० शुगर इंडस्ट्रीज से भरा पड़ा है, बहुत दिन से यह उद्योग वहां चल रहा है और आज यह शुगर इंडस्ट्रीज की संज्ञा में जा रहा है। अगर सरकार की नीति यह रहेगी तो वह दिन बहुत दूर नहीं है जब कि सारी इंडस्ट्रीज हमारे इन प्रान्तों से विलीन हो जाएगी । दक्षिण से हमारे बहुत से मित्रों ने कहा कि वहां पर शुगर इण्डस्ट्रीज कोआपरेटिव सेक्टर में भी चल रहे हैं। लेकिन जहां तक दक्षिण भारत की शुगर इण्डस्ट्रीज की बात है वे अच्छी चल रही हैं और मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर जो रिसर्च आर्गनाइजेशन है उनसे किसानों का सीधा सम्पर्क होना चाहिए ताकि लोग इसकी ओर झुकें और नयी वेराइटीज अपनाएं। किसान को जब तक आप उसके मन के मुताबिक प्रोडक्शन से और दाम से तालमेल नहीं बैठायेंगे तब तक मैं समझता हूं कि जो कृषि के क्षेत्र में काम करता है वह अपने आप को हमेशा निस्सहाय समझेगा। यह आपका हिन्दुस्तान है जो आप चाहते हैं करें । लेकिन मैं चाहूंगा कि आप एक कम्प्रेहेंसिव बिल सदन में लावें। जो तीनों मुद्दे उठाये हैं वे समझें। खास कर मजदूरों के हितों की रक्षा आप शुगर इण्डस्ट्री के नाम पर करें और शुगर इण्डस्ट्री की संज्ञा समझें तो आप उसी अनुपात में उनकी मदद कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका स्वागत करता हूं ।

श्री भानु प्रताप सिंह : उपसभापति महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस बहस में भाग लिया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत सीधा-सादा और संक्षिप्त उद्देश्य का बिल है । हमने जो पहले मूल अधिनियम पारित किया था उसके शब्दों में कुछ आशंका व्यक्त की गई थी और एक हाई-कोर्ट में उसके बारे में सन्देह प्रकट किया गया था उस सन्देह को दूर करने के लिए केवल शाब्दिक परिवर्तन किया जा रहा है और इसी उद्देश्य से यह बिल लाया गया है जिससे हमारी मंशा के बारे में आगे किसी न्यायालय को कोई सन्देह न रह जाए। इतना ही सीमित उद्देश्य इस बिल का है। अब इस पर आक्षेप किया गया कि यह कम्प्रेहेंसिव बिल नहीं है। मैं मानता हूं कि यह कम्प्रेहेंसिव बिल नहीं है। अब ये बातें कही गयीं कि इस जनता सरकार का कुछ उद्योगपतियों से रिश्ता है, इनके उद्देश्य दूसरे हैं, ये कहने के लिए कुछ हैं और करने के लिए कुछ हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि पुरानी बातें तो मैं जानता नहीं हूं लेकिन नयी बात इस सरकार की यह है कि हमारा रिश्ता दो से है, या तो गन्ना उत्पादकों से है या उपभोक्ताओं से है। यह हो सकता है कि हम चीनी उद्योग की सारी समस्याएं न हल कर पाये हों लेकिन मैं इतना जरूर दावा करता हूं कि हमने गन्ना उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए जो कुछ सम्भव था किया है तथा उसके परिणाम भी अच्छे सामने आये हैं ।

जो मूल विधेयक था, उसके दो उद्देश्य थे। एक की चीनी मिलें चलती रहें जिससे गन्ने की पेराई न रुके और दूसरा यह था कि जो गन्ना उत्पादक गन्ना सप्लाई करते हैं उनके गन्ने की कीमत की अदायगी होती रहे।

[श्री भानुप्रताप सिंह]

जहां तक पहले उद्देश्य का सम्बन्ध है उसमें हमें पूर्ण सफलता मिली। इस चीनी वर्ष में हर तारीख को पिछले वर्ष की तुलना में अधिक मिलें काम करती रहीं, कोई भी पीरियड नहीं आया इस शुगर इयर में जब काम करने वाली चीनी मिलों की संख्या पिछले साल की तुलना में कम रही हो। कोई भी अवसर नहीं आया है जब कि पिछले साल की तुलना में इस साल चीनी कम बनी हो। इसलिए जहां तक चीनी के कारखानों के चलने का उद्देश्य था वह पूरी तरह से प्राप्त किया गया है। पिछले साल की तुलना में अधिक चीनी मिलें काम कर रही हैं और पिछले साल की तुलना में अधिक चीनी अब तक बन भी चुकी है।

जहां तक गन्ने के पैदा करने वालों के बकाये का प्रश्न है, उसमें भी कुछ सफलता मिली है। जहां तक पिछले साल के बकाये का प्रश्न है वह बहुत कम किया जा चुका है और उसका कारण यही है कि जब 10 परसेंट से ऊपर बकायेदारों के लेने की बात आयी तो हमारे चंगुल में बहुत कम मिलें फंस सकीं अर्थात् उनकी अदायगी जो थी वह 10 प्रतिशत के नीचे आ चुकी थी। सिर्फ थोड़ी सी मिलें ऐसी थीं जिनकी अदायगी नहीं थी और उनको हमें लेना पड़ा। जिस वक्त हमने उनको लिया था उस वक्त उनके ऊपर करीब 6 करोड़ रुपया किसानों का बकाया था। हमने ऐसा किया था कि तीन महीने के अन्दर इस बकाये को अदा कर देंगे। अभी 6 करोड़ के मुकाबले 6 करोड़ से कुछ अधिक धनराशि उन मिलों को दी जा चुकी है जिसको हमने सीधे केन्द्रीय सरकार के अधिकार में लिया है। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि जो बकाये की धनराशि थी, थोड़ी बहुत चाहे बकाया हो, अन्यथा वह पूरी की पूरी अदा हो चुकी है।

अब बिहार की मिलों का प्रश्न उठता है। अब बिहार की या कहीं और की मिलें जो कि ऐसी हैं जिनको कि राज्य सरकार ने अपने हाथ में ले रखा है उनके वहां की अदायगी का प्रश्न तो वहीं की राज्य सरकार सुलझा सकेगी। हम तो सिर्फ दो प्रकार की मिलों के लिए जिम्मेदारी लेते हैं। एक तो वह जिनको स्वयं ले लें, अधिग्रहीत कर लें और दूसरी वे जो प्राईवेट सेक्टर में हैं या कोआपरेटिव सेक्टर में हैं, लेकिन वही जो पिछले साल के गन्ने की कीमत की अदायगी नहीं करती हैं। थोड़ी बहुत अदायगी कहीं से बकाया हो उसके लिए तो मैं नहीं कहता हूं। परन्तु प्रायः सभी अदायगी हो चुकी है। लेकिन इस वर्ष, मैं मानता हूं फिर किसानों की गन्ने की कीमत की बहुत बड़ी धनराशि बकाया के रूप में एकत्रित हो गई है। पिछले वर्ष इसी समय जितना गन्ना खरीदा गया था उस का केवल 21 फी सदी बकाये के रूप में था, आज वह बढ़ कर 25 या 26 फी सदी हो गया है। लेकिन मैं कुछ बातें स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं और वह यह कि अब तक चीनी मिलों की कठिनाइयों को थोड़ा देखते हुए—अगर वह चीनी मिलें केवल निजी क्षेत्र की नहीं सरकारी क्षेत्र की और जो सहकारी चीनी मिलें हैं उनको भी हमने जरूर उनके साथ थोड़ा मुलामियत का व्यवहार किया है। लेकिन अब हमने उनके लिए जो परिस्थितियां पैदा कर दी हैं बफर स्टाक द्वारा, यानी बफर स्टाक तैयार करने के लिए उन बैंकों से कर्ज की सीमा बढ़ाने के लिए, और इसके साथ यह जो चीनी का मूल्य थोड़ा बढ़ा है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर उन सहूलियतों के बाद, इन परिस्थितियों के बदलने के बाद, चीनी के भाव कुछ बढ़ाने की बात भी और चीनी मिलें गन्ना किसानों के मूल्य चुकता नहीं करेंगी तो वह इस कानून से बच नहीं सकेंगे। आज ही मैंने कहा है कि हर एक मिल के बकाए के फिर से आंकड़े मंगाए जाएं, और पूरा रिव्यू चालू कर दिया गया

और मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि जो मिल नहीं अदा कर सकेगी उसको हमें ले लेना पड़ेगा। दूसरी बात जो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं वह चीनी के मूल्य के विषय में है। एक बात कही गई कि हमने कहा कि 2 रु० 20 पैसा प्रति किलोग्राम चीनी बिके गी। मैं यह याद दिलाना चाहता हूं, मैंने 2 रु० 70 का भाव नहीं कहा था, मैंने 2.75 और 2.80 कहा था (*Interruptions*) वह तो रिकार्ड यहां मौजूद है। कार्यवाही में आप निकलवा कर देख लीजिए। कार्यवाही में तो स्पष्ट लिखा हुआ है जो मैंने कहा और आज भी मैं कहता हूं कि 2.75 रु० से अधिक मूल्य नहीं चढ़ना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के मूल्य हमेशा 10 पैसा 15 पैसा ज्यादा होते हैं उसका कारण यह है कि यहां चीनी बाहर से आती है और उस पर चुंगी काफी उंचे दर पर लगायी जाती है। इसके अतिरिक्त दिल्ली निवासी बहुत अच्छी चीनी खाने के आदी हैं, वे सी-30 ग्रेड की चीनी खरीदते हैं जब कि सारे देश में डी-30 चीनी चलती है। तो केवल दिल्ली ही नहीं है सारा देश। यह मैं एक बार फिर कहता हूं कि अगर देश में चीनी का भाव, वह भी कामन वेरायटी डी-30 का, अगर 2.75 रु० से ज्यादा होता है तो सरकार अवश्य हस्तक्षेप करेगी। अब दिल्ली के खाने वाले बहुत फैन्सी हैं, यहां पैकिंग बहुत फैन्सी है, दुकानें भी बहुत फैन्सी हैं। तो उन फैन्सी लोगों की बात छोड़िए, साधारण व्यक्ति जो इस देश का है अगर उसको 2.75 रु० से ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी तो सरकार अवश्य कदम उठायेगी।

श्री खुरशीद आलम खान (दिल्ली): थोड़ा सा दिल्ली से भी मुहब्बत करिए आप।

SHRI LAKSHMANA MAHA-PATRO (Orissa): To save the peop:e, can you think of having the Parliament in the rural side hereafter instead of having it in Delhi?

श्री भानु प्रताप सिंह : मैंने देश की बात कही। मैंने कहा दिल्ली ही देश नहीं है।

श्रीमन्, एक प्रश्न उठाया गया कि जब 60 मिलों को नोटिस दी गई तो केवल 10 क्यों ली गई? इसलिए कि बाकी ने कानून की जो आवश्यकता थी उसकी पूर्ति कर दी थी। एक प्रश्न यह उठाया गया कि गन्ना किसानों का अगर बकाया रहता है तो उस पर उनको सूद मिलना चाहिए। मैं बार बार कह चुका हूं कि 15 प्रतिशत सूद निर्धारित किया गया है और वह उन को मिलेगा। लेकिन जब अभी कठिनाई हम को इस में हो रही है कि हम उन के मूल्य का ही निपटारा नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी बात क्या की जाय, लेकिन यह निश्चय मानिये कि जब मूल्य का निपटारा होगा तो उसके साथ सूद का भी निपटारा होगा।

एक प्रश्न यह उठाया गया कि क्या केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार है कि वह कोआपरेटिव चीनी मिलों को ले ले। मैं यह कहूंगा कि हां, पूरा अधिकार है।

SHRI S. W. DHABE: That is in the State laws.

"Sugar industry is a schedule industry under the Industry (Development and Regulation) Act which means the Government of India are the authority competent to legislate and regulate under Entry No. 52 of the Union List in the Seventh Schedule to the Constitution of India."

Therefore, we have exercised this power under this.

रहा यह कि हमने राज्य सरकारों को कन्सल्ट किया है। ऐसी बात नहीं है कि हमने बिना उन के परामर्श के अपने मनमाने ढंग से किया है।

[श्री नारु प्रताप सिंह]

यह जरूर है कि बहुत सी सहकारी मिलें यह तर्क देती हैं कि हम अपने सदस्यों को, अपने गन्ना उत्पादक सदस्यों को क्या कीमत दें इस में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । इस तर्क को हम स्वीकार नहीं करते हैं । हम उन गन्ना किसानों की भी रक्षा करेंगे जो किसी सहकारी चीनी मिल में अपना गन्ना देते हैं और उन की भी जो नहीं देते हैं और यह जो मिनिमम स्टैट्यूटरी प्राइस है वह चाहे निजी क्षेत्र की मिल हो या कोआपरेटिव की मिल हो, वह उस को अदा करनी ही पड़ेगी ।

श्रीमन्, हमारे माननीय सिन्हा जी चले गये हैं। यहां मौजूद नहीं । उन्होंने कहा कि किसानों के गन्ने की अदायगी पूरी कीमत की हो सकती है, मजदूरों की मजदूरी दी जा सकती है, सरकार के जितने टैक्सेज हैं सब दिये जा सकते हैं और फिर भी चीनी दो रुपये 20 पैसे पर फुटकर में बेची जा सकती है । इस संबंध में केवल यह कहना चाहता हूं कि अगर केवल उद्योगपतियों का ही प्रश्न होता तो मैं अविश्वास करता उन पर और सिन्हा साहब की बात पर ज्यादा विश्वास करता लेकिन चीनी उद्योग में तो सभी लगे हुए हैं--राज्य सरकारें हैं, केन्द्रीय सरकार के पास भी अब दस मिलें हैं और सहकारिता की तो इतनी मिलें हो चुकी हैं कि इस देश में जितनी चीनी पैदा होती है उस में कोआपरेटिव सेक्टर में आधे से ज्यादा पैदा होती है । परन्तु किसी सेक्टर में चाहे वह प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर हो या कोआपरेटिव सेक्टर हो, किसी सेक्टर ने वह परफार्मेंस करके नहीं दिखाया है कि जिसका सिन्हा साहब ने जिक्र किया । बल्कि उल्टे हर एक की तरफ से इस बात की पैरवी होती रही और केवल मिलों ने ही पैरवी नहीं की, राज्य सरकारों ने पैरवी की कि चीनी का कुछ मूल्य बढ़े अन्यथा उन के लिये गन्ने की कीमत का अदा कर पाना कठिन हो जायेगा । यह बात दूसरी है कि देश के सभी लोगों को या तो निकम्मा मान लिया जाय या भ्रष्ट मान लिया जाये । तो यह तो सिन्हा साहब ही कर सकते हैं । मेरे पास अपनी कोई मिल नहीं है, नहीं तो मैं अपनी उस मिल का मैनेजर उन को बना देता और अगर वह तैयार हों तो मैं उनको किसी मिल का कस्टोडियन बना सकता हूं लेकिन वह अगर इस बात को दिखाने का जिम्मा लें ।

अन्त में, चन्द प्रश्न उठाये गये थे इस विवाद के संबंध में, उन को मैं समझता हूं कि मैं उत्तर दे चुका हूं । परन्तु एक निवेदन और करना चाहता हूं और वह यह है कि माननीय शाही जी ने बोलते समय, यद्यपि कोई संबंध नहीं था इस विधेयक से, लेकिन उन्होंने कहा कि एफ० सी० आई० के चेयरमैन बेईमान हैं, चोर हैं, इत्यादि मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि सदन की यह परम्परा रही है कि जो व्यक्ति यहां उपस्थित न हो उसका नाम लेकर सीधे इस प्रकार से आक्रमण नहीं किया जाना चाहिए । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप कार्यवाही देख लेंगे और यदि उन्होंने इस प्रकार की अनुचित बातें कहीं हैं जो उन को नहीं कहनी चाहिए थी तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा । मैं केवल इतना ही उन से कहना चाहता हूं कि यदि उन को कोई शिकायत थी तो मुझ से कह सकते थे, बरनाला जी से कह सकते थे, प्रधान मंत्री जी से

कह सकते थे, लेकिन ऐसा न करके एक चीनी से सम्बन्धित साधारण से विधेयक पर जिससे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है, किसी व्यक्ति को इस प्रकार से नाम लेकर उन पर जो यहां उपस्थित न हो, आरोप नहीं लगाये जा चाहिए । मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आप जरा इस पर ध्यान देंगे क्योंकि इस प्रकार से यदि बातें कही जायेंगी—मैं आज भी कहता हूं कि कोई स्पैसिफिक चार्ज हो, कोई आरोप हो तो हम जांच करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एकदम बिना किसी आधार के किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री महेन्द्र मोहन मिश्र : मनेजमेंट के लिए विचार चल रहा है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : विचार निरंतर चलता रहा है, कोई ठोस रचनात्मक सुझाव आये तो उस पर विचार करने के लिए हम लोग तैयार हो जायेंगे। लेकिन कोई बात पैदा नहीं होगी, कोई तथ्य नहीं होगा, कोई प्रमाण नहीं होगा, कोई ठोस सुझाव भी नहीं होगा, केवल बदनाम वे लोग करते हैं . . . *(Interruptions)*

इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: iMow 1 will put the motion.

The question is:

"That the Bill to amend the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 4 *were added to the Bill.*

Clause 1, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill,*

SHRI BHANU PRATAP SINGH: Sir: 1 move:

"That the Bill be passed."

The question was proposed.

श्रीमती प्रतिभा सिंह (बिहार) : माननीय उपसभापति महोदय, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहती हूं । लेकिन कुछ बातें इस विधेयक को देखकर मेरे ख्याल में आई तो मैंने सोचा कि आपके माध्यम से मंत्री महोदय के पास तक पहुंचा दूं ।

यह सही बात है कि इस बिल का स्कोप जैसा मंत्री महोदय ने बताया बहुत ही लिमिटेड है और जो पहले बिल पारित हुआ था उसमें जो कमी रह गई थी उनको दूर करने के लिए यह बिल आया है । जो प्रधान विधेयक था उसका मकसद था मिलें चलती रहें और किसानों को उनके गन्ने का दाम मिलता रहे । इस के सम्बन्ध में मुझसे पहले भी बहुत से माननीय सदस्य लोग बता चुके हैं कि सौ करोड़ से ऊपर एरियर्स ऐक्युमुलेट हो गये हैं और आपने दस मिल ली हैं । आपने अपने उत्तर में बताया कि आपको लेने में दिक्कत यह हुई कि आपने बिल में रखा है कि 10 परसेंट से ऊपर जो अदायगी बाकी रहेगी तभी आप उन मिलों को ले सकते हैं । यद्यपि आपने इन दस मिलों के लिए ही कोई 3.5

[श्रीमती प्रतिभा सिंह]

करोड़ रुपया दिया है और जो ओरिजनल बिल था उसमें आपने कहा था कि 50 से 60 लाख रुपये में ही यह सारा काम पूरा हो जाएगा। लेकिन तीन चार महीनों के अन्दर ही आपने 120 करोड़ से ऊपर रुपया खर्च किया है। 20 करोड़ रुपये आपने यू० पी० में ड्यूज को क्लियर करने के लिए दिये हैं। आपने अपने जवाब में यह भी बताया कि पिछले साल के गन्ने की अदायगी बाकी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि पिछले साल अदायगी क्यों नहीं हुई, क्यों बाकी नहीं है, यह मैं बताती हूं। क्यों बाकी नहीं है? इसलिये नहीं कि गन्ना खेत में हो रहे गया। जब गन्ना मिल पर पहुंचा ही नहीं तो एरियर कैसे होगा। जब गन्ना मिल पर पहुंचेगा तब ही तो दाम का झगड़ा, दाम का झमेला, जो आप कहिये, वह होगा। यह क्यों नहीं पहुंचा? मैं सरकार से कहना चाहूंगी कि यह जो टाइम होता है मिलों का कि किस समय से क्रशिंग का पीरियड शुरू हुआ और किस समय खत्म हुआ, इसको निर्धारित करें। हुआ यह कि पिछले साल क्रशिंग देर से शुरू हुआ। किसानों का कहना है कि मिलों को यह सुझाव दें कि वह अक्तूबर से क्रशिंग सीजन शुरू करें और अप्रैल-मई तक इसको ले चलें। गन्ना जो है वह पूरा किसान से खेत से मिलों को नहीं पहुंचा पाता। अगर देर से क्रशिंग सीजन शुरू होता है तो रिक्वरी जो गन्ने की होती है वह कम होती है। जैसे-जैसे गरमी होती है और हवा चलती है तो उसका जो रस है वह कम होता जाता है और कम होने के कारण कीमत भी कम होता है तो किसान जो नुकसान पहुंचता है। इसके बावजूद भी आप का कहना है कि आपके यहां चीनी का पिछले साल ग्लट था। 65 लाख टन शुगर पैदा हुई जबकि आपको 40 लाख टन इस देश में जरुरत है। पांच लाख टन का आपने बफर स्टाक रखा और 10 लाख टन फाजिल हो गया तो यह फाजिल चीनी मिलों में रह गई। मिलों का कहना है अब जब हमारे पास स्टाक मौजूद है और इस स्टाक को जब तक हम बेचेंगे नहीं तब तक हम किसानों के दाम कैसे देंगे। इसलिये किसानों की मजबूरी है कि उन्हें दाम नहीं मिला इनकी पालिसी की वजह से। पहले एक्सपोर्ट होता था। यह एक्सपोर्ट कहां होता था यह मैं बताना चाहती हूं कि ज्यादातर गल्फ कंटरीज में यह एक्सपोर्ट होता था और इससे हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता था। वह एक्सपोर्ट भी उन्होंने पता नहीं किस पालिसी के अन्तर्गत बन्द कर दिया। मंत्री महोदय अगर इस विषय में कुछ जानकारी दे देंगे तो थोड़ी सुविधा होगी। मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि मैंनेजमेंट लेते हैं लेकिन मैंनेजमेंट में सुधार तो करें। सुधार के बारे में मंत्री महोदय ने कहा है कि मैंने देखा है प्राइवेट मिलें, गवर्नमेंट मिलें और सहकारिता मिलें किसी में भी ऐसे किसी विशेष प्रकार के मैनेजमेंट की बात या तरीका दिखाई नहीं देता जिससे किसानों को विशेष रूप से फायदा पहुंचे। मैं यह कहना चाहती हूं कि आप इसके अन्दर गये नहीं हैं इसलिये आपको नहीं पता चला है। इसके अंदर अगर आप जायेंगे तो आपको छोटे से शुरू करना होगा। आपको पता होगा कि जो गन्ना किसान है उसकी दिक्कतें कहां से शुरू होती हैं। बड़ा गन्ना किसान छोटे गन्ना किसान को खेत बटाई पर देता है और छोटा गन्ना किसान जो बटाई करता है उसको पर्ची नहीं मिलती है। यह पर्चों का सिस्टम केन सोसाइटी के जरिये होता है यह भी मैं जानती हूं और केन सोसाइटी इलेक्टिड होती है यह भी मैं जानती हूं। इन सब के बावजूद भी कुछ ऐसे भ्रष्टाचार के तरीके निकल आए हैं कि एक मामूली बटाई का किसान को है, जो छोटा आदमी है जो आधा बीघा में, एक बीघा में या दो बीघा में गन्ना करता है उसे पर्ची इन सोसाइटी है

कभी नहीं मिलती है। उसका गन्ना मिलों पर नहीं पहुंच पाता जब तक कि किसी बड़े किसान से मिल कर, ब्लेक मनी देकर पर्ची नहीं खरीद लेता। इसलिये ये जो छोटी-छोटी बातें हैं जब तक सरकार और खासकर मंत्री महोदय इन बातों की ओर ध्यान नहीं देंगे तब तक उन छोटे किसानों का भला होने वाला नहीं है। ऐसी बहुत सी छोटी-छोटी दिक्कत हैं किसानों को चाहे वह बड़ा किसान हो चाहे छोटा। अतः इसे कम्प्रेन्सिव बिल क्यों कहते हैं ? कांम्प्रेन्सिव बिल इसलिये हैं कि गन्ना किसान छोटे से लेकर बड़े तक के हक की रक्षा करना आपका कर्त्तव्य है। पिछले साल क्या हुआ ? पिछले साल पांच रुपये क्विंटल तक गन्ना नहीं बिका। क्रशर वालों ने भी गन्ना नहीं लिया। उनके पास दिक्कत थी। अगर वह लेते हैं तो उनके पास देने के लिये पैसा नहीं है। ज्यादातर मिल वालों ने कहा कि मशीनें नहीं चल रही हैं। हमारी मशीन 20--20 साल पुरानी हैं। सरकार हमें इजाजत नहीं दे रही है मोडर्नाइज करने को। (*Time bell rings*) एक मिनट और लूंगी। ये सारी दिक्कतें हैं जिनकी वजह से माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह जो चीनी का सवाल है यह जो मसला है इस पर बहुत गम्भीरता से सोचना जरूरी है क्योंकि जो मिल मेनेजमेंट्स हैं इनका पालिटिक्स में भी हाथ है। जिस प्रकार से हमारी सरकार चीनी के निर्यात से पैसा कमाती है उसी प्रकार से गन्ना उत्पादकों को भी सहूलियतें दी जानी चाहिए। मैं चाहती हूं कि हमारे गन्ना पैदा करने वाले किसानों को इनपुट्स, पानी और बिजली तथा अन्य दूसरी चीजों की पूरी सहूलियतें नहीं दी जाती हैं और किसानों का गन्ना पैदा करने पर जो खर्च होता है उसका रिटर्न भी उनको नहीं मिल पाता है। माननीय चरण सिंह जी ने अपने एक भाषण में यह कहा था कि हमारे किसान एक क्विंटल जो गन्ना पैदा करते हैं उससे मिल-मालिकों को 50--55 रुपयों की इनकम हो सकती है, जब कि हमारे श दे में स्थिति यह है कि किसानों को एक क्विंटल गन्ने का 5 रुपया भी पिछले दिनों नहीं मिल पाया। इसी लालच में आकर पिछले दिनों हमारे देश के किसानों ने विलेज लेवल पर और ब्लाक लेवल पर किसान रैली के लिए चन्दा दिया ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि किसानों को सुविधाएं देने के साथ-साथ मिलों को मोडर्नाइज किया जाय।

इसके साथ-साथ हमारी गन्ना मिलों को जो प्रोफिट होता है उसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। मैं चाहती हूं कि इन मिलों को जो फायदा होता है उसका कुछ अंश स्थानीय लोगों पर भी खर्च किया जाना चाहिए। यह हो सकता है कि किसी पूंजीपति को अधिक मिलें हों और किसी को कम मिलें हों। जैसे मान लीजिये बिरला की 50 मिलें हैं और किसी दूसरे पूंजीपति की दो सौ मिलें हो सकती हैं। जब इन मिलों में प्राफिट होता है तो उसको एक पूल में जमा कर लिया जाता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि इन मिलों को जो प्रोफिट हो उसको स्थानीय किसानों और स्थानीय लोगों पर भी खर्च करने पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। हो सकता है कि मिल मालिक कहें कि प्राफिट में लोग हिस्सा चाहते हैं तो घाटे का हिसाब कहां जायेगा। लेकिन अब जनता जागृत हो गई है। अतः किसान मिल मालिक दोनों को एक दूसरे को सुविधा देनी होगी।

तीसरी बात मैं क्रशिंग सीजन के बारे में कहना चाहती हूं। मैं पहले ही कह चुकी हूं कि क्रशिंग सीजन अक्तूबर से चालू कराया जाना चाहिए। मैं यह भी चाहती हूं कि मिलों को मार्डनाइज करने के लिए आप सहूलियत दें। अगर मिलें मोर्डनाइज नहीं होंगी तो उनसे फायदा भी ज्यादा नहीं हो पाएगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की

[श्रीमती प्रतिभा सिंह]

है कि हमारी मिलों को मोर्डनाइज किया जाय और हमारे किसानों को गन्ने की क्रशिंग क्रशिंग के बाद के बाई-प्रोडक्ट्स से जो फायदे होते हैं उन में भी हिस्सा मिलना चाहिए। चाहे आप इन बाई-प्रोडक्ट्स को मिडियम स्केल में लें, या लार्ज स्केल में लें, किसानों को भी साझेदारी दी जाये इसकी तरफ भी विशेष ध्यान लेने की जरूरत है। इन बाई-प्रोडक्ट्स द्वारा किसान और गांव का स्वरूप बदला जा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

SHRI N. P. CHENGALRAYA NAroU (Andhra Pradesh): Sir, I am glad the Government have brought this Bill in the interest of the farmer. Sir, the Government is to fix up some minimum rate for 3Ugar cane and the State Governments are allowed to fix some more price, that is, about Rs. 10 or Rs. 20 more than the minimum price. Previously, the Andhra Pradesh Government fixed Rs. 130 per tonne. Now the Government have fixed Rs. 100 per tonne. A Cabinet sub-committee was constituted and they fixed Rs. 100 and issued orders to the State Government not to pay more. The State Government was prepared to pay more to the farmer. But the Central Government issued an order asking them not to pay more. Even for rice they have fixed its price and have asked the State Government not to pay more. I cannot understand the logic of the Central Government. Actually for sugar cane cutting and loading we have to pay Rs. 15 per tonne to labour and there is only Rs. 80 left. We havo to pay land tax. We have to purchase fertiliser, pesticides and water. We have tc pump water. In some places there is river but in some places we have to pump for ten months in the year. What is the actual cost of production? The cost of production comes to Rs. 135— Ra. 140. We have got a Government which do not care to find out the production cost. The, have an Agricultural Prices Commission to rix the prices. There is only one non-official member. Even that non-official member is asked to recommend a price which is favourable to the agriculturist. The other three or four members who do not know anything about agriculture will not agree. The Government has constituted a Cabinet sub-committee to fix the price of wheat. But they are not interested in fixing the price of sugarcane; then are not interested in lixing the price of rice. This is the position now.

I agree with the Minister that the sugar price must be low for the consumer. You must also see that the producer also gets a lair price. But they are not thinking of this side. Now, Sir, the Government wanted to see that the consumer gets sugar at * fair price. If the Government is really interested, they should pass an order that the sugar factories must not sell under Rs. 250 or Rs. 225 per quintal. If they do not undersell the price would come down and the sugarcane growers can get a reasonable price. Then the consumer also can get sugar at less than Rs. 2.75 per kilo. That way they can control this. If they can control the consumer price, they can control the producer price also. If they can pass an order today that no sugar factory can undersell below Rs. 250 or Rs. 225 per quintal, the price can be maintained and the sugarcane growers can get Rs. 150 per tonne. But they do not think of the agriculturist. They only think of the consumer. They want to be popular in the cities. They do not want to be popular with 30 per cent of the people who live in the villages. This is the position. Therefore, I would appeal to the Minister. I do not blame him. I only want him to think at least of the producers. Hereafter if they are not going to think of the producer and help the producer by seeing that sugar is not undersold in the factories, there will be a sugar shortage. The same Ministers will be responsible to the

country. I only request them to see that the price in the sugar factories is fixed so that they do not undersell below Rs. 250 per quintal. If this is not done, next year there will be a severe sugar shortage. Therefore, I would appeal to the Minister to do something about this.

PROF. N. G. 11ANGA: Mr. Deputy Chairman, Sir, 1 have only a few points to make. I am glad that my hon. friend, Shrimati Pratibha Singh, has highlighted the difficulties of our peasants who are obliged to place thei,r sugarcane at the disposal of the factories and who, at the same time, have to go without receiving the price for it. Ali the time they are obliged to go on paying, first of all, the first stage interest to co-operative societies and banks and, later on, penal rates of interest also. I would like my hon. friend to give some attention to this particular matter and see that the peasants are exempted from payment of interest to the co-operatives in cases where the sugarcane puce is not fixed. Secondly, way and means of how to give them relief will have to be worked out by my hon. friend in consultation with the Reserve Bank of India and the scheduled banks.

Sir, my hon. friend, Mr. Naidu, has already told us how this Government is feeling. All thesj Governments have been feeling so ever since we have become free and long before v/e have become free also, just because Governments have somehow or other been interested more in the consumers than in the producers of sugarcane. That has been the fate of our sugarcane producers. Now the time has come when their interests are to be properly harmonized. I am glad that this Bill has been brought forward in order to take over certain sugar factories. It has become necessary for the Government to take over these sugar factories because those people who were the owners—either co-oprative or private—and who were supposed to manage the sugar factories were mismanaging them, mismanaging the finances of the sugar factories and neglected their repairs, renovation and modernisation. They mule-ted almost all the profits and resources— every thing— or their own benefit and now they have placed the baby in the hands of the Government. The Government is quae happy to have the 3 P.M. baby and nurse it too. This is a wrong way of going about. We have been thinking and talking about co-operativisation or nationalisation of this industry Commission after commission in U.P. itelf made certain recommendations, but they had not been heeded to either by Mr. Chara.a Singh's Statt Ministry or even the earlier Ministries before him, or oven the Union Government. Now I would like to ask my hon. friend to examine whether the time has not come to take a bold decision in regard to this matter. If you would like to co-operativise it, do so. Certainly it would be better managed than under private entrepreneurs. If you would like to nationalise it, do so; but see to it that it is better managed than under private entrepreneurs.

It is no time to go into many other points which have been raised or could be raised, but one thing has got to be said. There is no reason why just because for the time being there i» over-production of sugar, they should put a stop to the development of the sugar factories in such States as Maharashtra, Andhra Pradesh and Madras where the sucrose content is very much higher, the total production of cane is very much higher, either because the lands there are more fertile, the water supply is more regular, power supply is more regular or because the factories there are more efficient than the factories in U.P. and Bihar. The local Governments have already given permission to various co-operative societies in the South to start cooperative factories. They have advanced some money also. From the

[Prof. N. G. RangaJ

peasants so much *money* was colleei-ed and put together. They went ahead with the construction, but hall way through the order came to them—my hon. friend was asking me whether it came from the Central Government or the State Government; that I do not know—from this Government or the Government in the State, directly or indirectly, by way of advice or by way of a specific order that they should not go ahead with it. Now, if they are going to stop production, what will be the fate of the industry and what will be the fate of the co-operators who themselves are peasants and who have invested so much money, who have borrowed money on which they are paying a» interest? Recently, one or two representations were made. I thought they might have met my hon. friend Mr. Bhanu Pratap Singh; but I beli have met Mr. Barnala. Anyway, they cim< and made a representation in this regard. I would like you to look into this matter and see that further construction and completion of the factories in respect of which schemes have already been sanctioned is not stopped.

Then there is the question of demand. Yesterday I made a suggestion and I would like to repeat it. I made it privately to my hon. friend in the lobby, and he had got some objection to it. That suggestion is that whatever surplus sugar they have got at their disposal and they are not able to sell could be disposed of in another manner. Why should they not introduce a double price system—not the earlier one? One may be the market price, say, Rs 2.50 as at present, and another price of Rs. 2, at which price they should sell sugar through the public distribution agencies as well as co-operatives to all those people whose family income is less than Rs. 250 or Rs. 300 per month. If they would distribute it that way, certainly there will be a greater demand in our own country and whatever k>ss on account of this may be there will surely not be more than the loss they are incurring by their not fully successful effort to export our sugar to other countries. Why should they not , to do that? In addition to this, why should they not have the supply of sugar in small packets for all those peopie who are employed on 'Food for Work' Schemes? Wherever they are employed, let them be supplied this small quantity of sugar also. They will certainly be prepared by the sugar factories themselves and be placed at the disposal of the Government. In that manner they can augment the demand for sugar in our own country and we can become independent of the need to export our sugar at huge losses.

My last point is this. There are some bad sugar mills in Andhra Pradesh. One of them is in Challapalli and there is another in Bobbili. One 01 them had closed down also. The workers are suffering. The peasants [1] .0 suffering. And for years, arrears have not been paid. Now, at least those mills should be taken over by the Government. I do not know why they did not give any thought to these mills. Local politics will be there. The local Government may agree or may not agree. But let the Government here make an enquiry whether these twomills should be taken over with profit to the Government and also to the local peasants as well as the consumers. Thank you.

श्री भानु प्रताप सिंह : उपसभापति महोदय, चूंकि समय की कमी है इसलिए मैं सारांश में उत्तर दूंगा। मैंने कभी यह दावा नहीं किया कि चीनी उद्योग की सारी बीमारियां दूर की जा चुकी हैं लेकिन मैं यह जरूर दावा करता हूं कि हम उसको ठीक करने की दिशा में. . . *(Interruptions)*

PROF. N. G. RANGA: Let him reply in English.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: All right. 1 never claimed that all the ills of the sugar industry have been cured. All that I claim is that the sugar industry i_s on the way to recovery and the symptoms of recovery are, number one, that consumption of sugar has gone up considerably in this country. Your anxiety about increasing th_e consumption of sugar is perhaps out of date now. Consumption has gone up by more than 25 per cent. And I hope that together with the export that will not be made, the total utilisation of sugar this year will not be much less than the production; it will be almost equal or it will b_e a little more. So, as far as the problem of over-production is concerned, it is on the way to a solution. Now consumption has gone up. The consumers are very happy because they are getting sugar at much cheaper han before. Corruption has been removed altogether. This dual pricing which you now want us to intro-du< was generating black money worth at least Rs. 100 crores in this country. I am very happy that that situation is now over, and we do not intend to re-introduce sale of sugar at two different prices.

Now, Sir, my hon. friend has said that in Andhra Pradesh the Government wanted higher prices to be paid to the cultivators and the Union Government did not allow them to do so. Now, this is sheer propaganda on the part of the State Government The laws are the same. In U.P. the Government there is subsidising out of its own resources . by paying higher prices to the cane growers at the same level as was paid to them last year. Now the laws are the same. If the U.P. State Government can do that, I do not see why the Andhra Pradesh Government, if it really had sympathy for the cane growers at heart, cannot do -he same. *(Interruptions)* . I am giving an example.

SHRI N. P. CHENGALRAYA NAIDU: The Minister in charge of Sugar in Andhra Pradesh has clearly said that the Central Government have asked them not t° P^{av} more and that is why they are not paying more than Rs. 100. Previously they were paying Rs. 130. They are putting the blame on you.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: It is very easy to put the blame on us, but you go back and ask your Minister, "How is the U.P. Government able to pay more?" The laws are the same, the requirements are the same. And our advice has been the same. And our advice has been the U.P. Government subsidising ihe cane gowers from their resources, but they have done it against our advice.

SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI: Also Bihar Government.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: Yes, I understand the Bihar Government is paying more. It is up to the State Governments. If they have the rsources and they want to pay more to the cane growers, they iire free to do so.

Now, as far as the point raised aibout the licensing of new sugar factories is ccyicerned, we have certainly decided, not for ever but only fcr a short period of time while we are having a second look at the sugar in-*?,* not to issue new licences. With the licences that have already been issued, from our side, we have not stopped them from going ahead to establish their sugar factories. If there is any specific case where a licen' e was issued and they have got the resources to go ahead, but they have some difficulty then let approach me through you or directly and I assure you that ah those who have been given licences and who have the resources to go ahsad, will not he stopped from establishing their factories.

[Shri Bhanu Pratap Singh] Now, quite often the panacea of export has been recommended for the ills of the sugar industry. It was all right to export when the price of sugar in the international market was £700 a tonne, but it has come down now to £100 a tonne the price is reduced to l/7th.. .

PROF. N. G. RANG A: Therefore, do not export.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: No; we are exporting in spite of the heavy losses that we are suffering. But that will not solve our problem. That is what I want to emphasize. If the realisation from exports is going to be less even as compared with what we can realise in our own country, I don't see any great point in exporting; that will not solve our problem. Instead of that, because our surpluses have grown, we are exporting, if somebody thinks that because the exports are not on a big scale and therefore the sugar industry problem is not being solved, that kind of thinking is wrong. *(Inter-ruptons)* As far as this question is concerned, at least I believe that the industry and everything should be on a sound basis; it is for the industry to regulate its own affairs. We have set only two limits to them: They must pay the minimum price set. That is one. And they should not cross the price level of sugar for the consumer. It has been set at Rs. 2.75 a kilogram. Between these two limits that have been placed for them they should operate—that they should pay to the cane-growers a fair price. We have left them to their own devices . . .

SHRI N. P. CHENGALRAYA NAI-DU: If you can ask them not to deviate and there will be a uniform price in the country and the producer will get more....

SHRI BHANU PRATAP SINGH: We do not want to put them on crutches; they have now learnt a lesson, they have learnt how to regulate their business, and that is why they are selling it under some restraint and discipline now. That is going to help the industry as well as the cane-grower. So we do not intend to interfere.. .

SHRIMATI PRATIBHA SINGH: What about crushing time?

SHRI BHANU PRATAP SINGH: Yes you have raised a point about crushing time. Perhaps you are net aware that if crushing starts very early, then again the recovery is low. Crushing cannot be done at the same time throughout the country. The climatic conditions are such that it has to be at different times at different places. But any recommendation to start crushing in October is as harmful to the industry as making them work in the month of June or July. So tooth ways it is disadvanta. geous. Therefore, this matter should be left to the industry and we should only take care that whatever they have been crushing or whatever is their capacity to crush, they should crush and keep on paying the cane-growers.

With these words I again commend that the Bill be passed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is—

"That the Bill be passed." *The,*

motion *was* adopted.

PERSONAL EXPLANATION BY SHRI RAVINDRA VARMA, MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR, REGARDING ALLEGATION OF HIS CONNECTION WITH THE OTA MADE BY SHRI YOGENDRA MAKWANA IN THE HOUSE ON MARCH 26, 1979

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVTNDRA VARMA): Mr. Deputy Chairman, with your permis. sion I rise to make a statement of personal explanation. I was amazed and filled with indignation to read a report that appeared in a Delhi daily this morning to the effect that an honourable Member of this House

-